

कार्यालय अंचल अधिकारी, करी।

आदेश फलक

अभिलेख वाद सं०-316/16-17..... /

वाद का प्रकार:- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित

आदेश का क्रमांक सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई की टिप्पणी
<p style="color: blue; font-size: 1.2em;">28.11.2018</p>	<p>झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-03 खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक:- 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा०, दिनांक:-09.12.1198 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा..... थाना नं० 39 खाता नं० 94 खेसरा नं० - (अरत)..... रकबा 2.30 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास अनावाद बिहार (झारखण्ड)के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी- II के जिल्द संख्या I के पृष्ठ संख्या 79 पर जमाबंदी रैयत सुकर शर्मा पिता/पति रेखाता प्रसाद के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण बंदोबस्ती के आधार पर/सादा हुकुमनाना के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य का क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी का अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकारी को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाय। अभिलेख दिनांक 07/12/2018 को रखें।</p>	
	<p>अधिकारी एवं संगोष्ठित</p> <p><i>(Signature)</i></p>	<p>अधिकारी</p> <p><i>(Signature)</i></p>

आदेश का क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
----------------------	---------------------------------	---------------------------

11.12.2020

अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत अनुपस्थित। जमाबंदी रैयत सुकर मियाँ पिता रेयासत मियाँ के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है


जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा लरता, थाना नं० 39 के सर्वे खतियान में खाता सं० 94 गैरमजुरुआ खास दर्ज है।


राजस्व मांग पंजी ii के भाग I पृष्ठ सं० 79 खाता सं० 94 मधे सुकर मियाँ पिता रेयासत मियाँ के नाम से दर्ज है। कुल रकबा 2.30 एकड़ दर्ज है। प्रथम लगान रसीद वर्ष 1980-81 एवं अन्तिम लगान रसीद वर्ष 2010-11 तक कटा दर्ज है। जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंजी II में लगान रसीद नियमित दर्ज नहीं है। उक्त भूमि पर जमाबंदी रैयत का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा लरता, थाना नं० 39 खाता सं० 94 रकबा 2.30 एकड़ जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा लरता, खाता सं० 94 रकबा 2.30 एकड़ भूमि की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे।
लेखापित संशोधित।


अंचल अधिकारी
करा।


अंचल अधिकारी
करा।